



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4911]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 12, 2018/अग्रहायण 21, 1940

No. 4911]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 12, 2018/AGRAHAYANA 21, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(अन्वेषण प्रभाग-V)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2018

संख्या 87/2018

का. आ. 6141 (अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 280क की उप धारा (1) एवं काला धन (अधोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) व कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 (2015 का 22) की धारा 84 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक जिले के मुख्यालय, जिसमें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य-क्षेत्र भी आता है, के न्यायिक मजिस्ट्रेट की प्रथम न्यायालय को और शहर सत्र न्यायालय, बिच्चार भवन, कलकत्ता के अंतर्गत आने वाले मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के चतुर्थ न्यायालय को पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान और निकोबार संघ राज्य-क्षेत्र में पड़ने वाले अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 280क की उप धारा (1) और काला धन (अधोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर का अधिरोपण अधिनियम, 2015 की धारा 84 के उद्देश्य के लिए नामित करती है।

[फा.सं. 285/24/2018-आईटी(अन्वेषण V) सीबीडीटी]

डॉ. जाकीर थॉमस, आयकर आयुक्त (ओ.एस.डी.)(अन्वेषण)सी.बी.डी.टी.